"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 जून 2012—ज्येष्ठ 29, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जून 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/25/2012/वाक/पांच (31).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उपधारा (1) के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वर्ष के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधान एवं नियमों के क्रियान्वयन से अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दिनांक 01-12-2011 से 31-08-2012 तक छूट प्रदान करती है, यथा :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	व्यापारियों का वर्ग (2)	वर्ष (3)	प्रावधान/नियम जिनसे छूट दी गई (4)	निर्बन्धन तथा शर्तें (5)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में वर्णित वस्तु में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, ऐसा पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 40 लाख से कम है.	वित्तीय वर्ष 2008-09	धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20 (2) (क)	यदि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्धारित प्रारूप-18 के अनुसार देयकर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, भुगतान कर चुका है तथा ऐसा पत्रक दिनांक 31-08-2012 तक प्रस्तुत कर देता है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में वर्णित वस्तु में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 10 करोड़ से कम है.	वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11	धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ग), धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20 (2) (क) तथा धारा 41 की उपधारा (2)	यदि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्धारित प्रारूप-18 के अनुसार देयकर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, भुगतान कर चुका है तथा कुल वार्षिक विक्रय राशि वर्ष 2009-10 में रु. 40 लाख तथा वर्ष 2010-11 में रु. 60 लाख से अधिक होने पर ऐसे पत्रक के साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44(AB) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली आडिट रिपोर्ट की प्रति दिनांक 31-08-2012 तक प्रस्तुत कर देता है.
3.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में वर्णित वस्तु में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 10 करोड़ या इससे अधिक है.	वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11	धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20 (2) (क)	यदि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्धारित प्रारूप-18 के अनुसार देयकर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, भुगतान कर चुका है तथा ऐसे पत्रक के साथ छ.ग. मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के उप-नियम (1) में निर्धारित प्रारूप-50 में आडिट रिपोर्ट दिनांक 31-08-2012 तक प्रस्तुत कर देता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2012

क्रमांक एफ-10/25/2012/वाक/पांच (31).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/25/2012/वाक/पांच (31), दिनांक 19-06-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 19th June 2012

NOTIFICATION

No. F-10/25/2012/CT/V (31).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of b-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Governm hereby exempts, the class of dealer as specified in column (2) of the Schedule below, for the year as specified i olumn (3), from

provisions of the act and rules as specified in column (4), subject to the restrictions and conditions specified in column (5) of the said Schedule, from 01-12-2011 to 31-08-2012, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Class of dealers	Year	Section/rule from which exemption granted	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registered dealers, whose annual turnover is less than Rs. 40 lac, except dealer who deals in goods specified in S. No. 5 of part-III of Schedule-II under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.	Financial year 2008-09	Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and rule 20 (2) (a)	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause (b) of sub-section (1) of section 19 and file such form upto 31-08-2012.
2.	Registered dealers, under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover is less than Rs. 10 crore, except dealer who deals in goods specified in S. No. 5 of part-III of Schedule-II.	Financial year 2009-10 and 2010-11	Clause (c) of sub-section (1) of section 19, clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and rule 20 (2) (a) and sub-section (2) of section 41.	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause (b) of sub-section (1) of section 19 and file such form upto 31-08-2012 along with audit report required under section 44(AB) of Income Tax Act, 1961 if his annual turnover exceeds Rs. 40 lacs in the year 2009-10 and Rs. 60 lacs in the year 2010-11.
3.	Registered dealers, under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover is Rs. 10 crore or more, except dealer who deals in goods specified in S. No. 5 of part-III of Schedule-II.	Financial year 2009-10 and 2010-11	Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and rule 20 (2) (a)	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause (b) of sub-section (1) of section 19 and file such form upto 31-08-2012 along with audit report in Form-50 prescribed in sub-rule (1) of rule 53 of Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/25/2012/वाक/पांच (32).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उपधारा (1) के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट नियमों से, कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दिनांक

01-12-2011 से 31-08-2012 तक छूट प्रदान करती है, यथा :—

अनुसूची

नियम जिनसे छूट दी गई (1)	वर्ष (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें (3)
नियम 20 (2) (ख) के अधीन विहित प्रारूप-18 का भाग-ग	वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11	जबकि भाग-ग की जानकारी :— (क) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल या अधिसूचना द्वारा करमुक्त माल या (ख) अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट माल, या (ग) अधिकतम खुदरा मूल्य पर दवाई, के छत्तीसगढ़ राज्य में क्रय या विक्रय से संबंधित हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2012

क्रमांक एफ-10/25/2012/वाक/पांच (32).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/25/2012/वाक/पांच (32), दिनांक 19-06-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 19th June 2012

NOTIFICATION

No. F-10/25/2012/CT/V (32).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts, from the rules as specified in column (1) of the Schedule below, for the year as specified in column (2), subject to the restrictions and conditions specified in column (3) from 01-12-2011 to 31-08-2012, namely :—

SCHEDULE

Rule from which exemption is granted (1)	Year (2)	Restrictions and conditions (3)
Part-C of Form-18 prescribed under rule 20 (2) (b)	Financial year 2008-09, 2009-10 and 2010-11	When the information of part-C is related with purchase or sale within Chhattisgarh State, of :- (a) Goods specified in Schedule-I or goods exempted by notification, or (b) Goods specified in S. No. 1 & 2 of part-III of Schedule-2, or (c) Medicine at maximum retail price.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.